–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 26 / 2022

उनवान

1. बालू पुत्र पांचू
2. सत्यनारायण पुत्र पांचू समस्त जाति माली निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद

––प्रार्थीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हंगामी पत्नी मोहन जाति माली निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 30.10.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 686 रकबा 0.11 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण मुख्य सडक खसरा नम्बर 674 से होकर हाल खसरा नम्बर 675 व 676 रकबा 0.03, 677 रकबा 0.06 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व 694, 695 व 696 सिवायचक में से आवागमन करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास अन्य कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में नही है। अतः प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 676, 677, 694, 695 व 696 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलववाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त रास्तें का इन्द्राज करवानें के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेन किया कि प्रार्थीगए उकत मार्ग से कभ भी अवागमन नही करते है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी से प्रार्थीगण को कोई सबंध व सरोकार नही रहा है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मार्ग अपनी सुविधा के लिये चाहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी से लगता हुआ खसरा नम्बर 711 स्थित है जो कि मौके पर मार्ग के रूप में काम आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम है। प्रार्थीगण द्वारा प्राधिकरण को प्रकरण में पक्षकार नही वनाया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिव[illegible]राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम राजगढ के हाल [illegible] 0.18 व 686 रकबा 0.11 आवेदनकर्ता की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 675 [illegible] 0.05, 676 रकबा 0.03 व 677 रकबा 0.06 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 674 0.08 मुख्य सडक सिवायचक है तथा खसरा नम्बर 694, 69[illegible] 696 अजमेर विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:24 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवेदनकर्ता ने प्रथम मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर अजमेर विकास प्राधिकरण को नवीन पक्षकार के रूप में संयोजित किया। प्रथम मौका रिपोर्ट में आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्रथम मौका रिपोर्ट में खसरा नमबर 675, 677 व 696 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। द्वितीय मौका रिपोर्ट में उक्त मार्ग पहाडीनुमा व उच्चावच होने के कारण अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 675, 677 व 682 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त मार्ग हेतु अप्रार्थी की कुल 558 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौरान बहस कथन किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 686 जिस पर मार्ग चाहता है का कुल रकबा 0.11 है0 है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण कृषि कार्य नही करते है। प्रार्थीगण के पास नाले के रूप में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण मात्र सुविधा के लिये नवीन रास्ता चाहते है। किन्तु खसरा नम्बर 686 रकबा 0.11 राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि ही है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई मार्ग नही है। गै.मु. नाले की भूमि मार्ग हेतु नही दी जा सकती है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 686 पर आवागमन हेतु मार्ग चाहते है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर का रकबा मात्र 0.11 है0 है तथा उक्त खसरा नम्बर पर मार्ग के लिये अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 675, 677 व 682 कुल 558 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित की गयी है, जबकि उक्त खसरा नम्बर का कुल रकबा ही 0.11 है0 है। अर्थात उक्त मार्ग प्रार्थीगण को दिये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 की आधी खातेदारी आराजी रास्तें के रूप में दी जानी है। किन्तु अप्रार्थी के पास उक्त खसरा नमबर के अतिरिक्त अन्य भूमि भी खातेदारी की है। प्रथम मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग पहाडीनुमा व उच्चावच होने के कारण अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 675, 677 व 682 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। मौका रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया है। प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। अतः प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 675 मे से 72 वर्ग मीटर, 677 में से 270 वर्ग मीटर, 682 में से 216 वर्ग मीटर कुल 558 वर्ग मीटर भूमि (30 फिट चौडा) भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के बदले 70988/ अक्षरे सतर हजार नो सौ अठयासी रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने के बाद उक्त भूमि सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:24 IST
Reason: SelfAttested